संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A3-36/2014

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 3 NOV 2022 अक्टूबर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : 1814 दिनांक 04 अगस्त, 2021, पत्र संख्याः 216 दिनांक 05 अगस्त, 2021 एवं पत्र संख्याः 269 दिनांक 21 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, हल्द्वानी, नैनीताल को बी0कॉम0 (आनर्स) पाठ्यक्रम में सत्र 2020–21 एवं 2021–22, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0एड0 एवं बी0एच0एम0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्तावों पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल	1. **बी0कॉम0 (आनर्स)**	60 सीट (प्रति सत्र)	2020–21 एवं 2021–22
		2. **बी0सी0ए0**	120 सीट	2021–22
		3. **बी0बी0ए0**	120 सीट	2021–22
		4. **बी0एड0**	100 सीट	2021–22
		5. **बी0एच0एम0**	180 सीट	2021–22

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- विश्वविद्यालय संस्थान में छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इटर्नशिप/विजिट के लिए जिन समूहों/विभागों एवं कम्पनियों के साथ अनुबन्ध (M.O.U) किया गया है। तद्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

क्रमश :/–

- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- जब तक BCA के तकनीकी मानक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते हैं तब तक AICTE द्वारा MCA हेतु निर्धारित मानक BCA पाठ्यक्रम पर भी लागू होंगे। विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए एक माह के भीतर आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- विश्वविद्यालय, संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु बंधक F.D.R का सम्बद्धता प्राप्ति के 02 माह के भीतर नवीनीकरण कराते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार भवन को मानकानुसार पूर्ण कराने, बी0एच0एम0 पाठ्यक्रम हेतु प्रयोगशाला एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु पुस्तकालय मानकानुसार पूर्ण कराते हुए तद्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2903 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-36/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।